

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 87/2015.....जिला.....बांसवाडा.....

उनवान- मै0 श्याम ट्रेडर्स, बांसवाडा बनाम उपायुक्त (अपील्स), उदयपुर एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत-बांसवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
23.03.2015	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री मदनलाल – सदस्य श्रीमती आशा कुमारी – सदस्य</p> <p>अपीलार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर के अजमेरा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 87/2015/बांसवाडा जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="407 1503 736 1700"> <p style="text-align: center;">आशा कुमारी (आशा कुमारी) सदस्य</p> </div> <div data-bbox="1003 1527 1332 1700"> <p style="text-align: center;">23.3.2015 (मदन लाल) सदस्य</p> </div> </div>	